तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
6/5/04	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। अप्रार्थीगण के जवाब पेश नहीं करने पर इनके जवाब के अवसर को समाप्त किया जाता है। उभय पक्षों की बहस सुनी। वकील प्रार्थीनी की बहस है कि प्रार्थीनी के पैतृक खातेदारी भूमि खसरा संख्या 385 रकबा 0.9200 हैक्टर किस्म बारानी सोयम ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) में अवस्थित है। प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1/1 व 1/2 के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 1/3 के पति प्रभुदास पुत्र रतनदास जाति साद थे। प्रभुदास की मृत्यु के बाद प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/3 का प्रत्येक का बहिस्सा बराबर बराबर 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 वां हक हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से कब्जा काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीनी के पिता स्व. प्रभुदास की मृत्यु बाद राजस्व कार्मिकों ने फौतेदगी नामान्तरण बतौर वारिसान भरते वक्त केवल प्रभुदास के पुत्र छगनदास व पत्नी पानी देवी के नाम ही भरा जबकि प्रभुदास की दो पुत्रियों प्रार्थीनी मंजूदेवी व अप्रार्थी सं. 1/2 विमला देवी का नाम खातेदार के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया गया। प्रार्थीनी स्व. प्रभुदास की विधिक वारिस है इसकी पुष्टि प्रतिवादी संख्या 4 के मूल वाद में पेश जवावदावा के विन्दु संख्या 1 से, ग्राम दूदनी (डूब क्षेत्र) के खसरा सं. 171/4 की जमाबंदी एंव विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली द्वारा जारी परिवार कार्ड (राशन कार्ड) सं. 20086 से होती है। अतः प्रार्थीनी के पक्ष में मूल वाद के निर्णीत होने तक मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश अप्रार्थीगण सं. 1/1 ता 4 के विरूद्ध फरमावें। अप्रार्थीगण वकील की बहस है कि खातेदार प्रभुदास की मृत्यु बाद फौतेदगी नामान्तरण पुत्र छगनदास के नाम 1/12 हिस्सा व पत्नी पानी के नाम 1/2 हिस्सा भरा गया जो सही है। प्रार्थीनी वादग्रस्त खातेदारी भूमि पर आजदिनांक तक कब्जा काश्त नहीं रहा। आवेदन पत्र गलत, मिथ्या तथ्यों पर पेश किया गया जो निराधार होने के कारण खारिज फरमावें। हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। ग्राम दूदनी (डूब क्षेत्र) के खसरा संख्या 171/4 की जमावंदी, पंचायत समिति बाली द्वारा जारी परिवार कार्ड संख्या 20086 से स्पष्ट है कि प्रार्थीनी स्व. प्रभुदास पुत्र रतनदास की पुत्री है। राजस्व ग्राम दूदनी (डूब क्षेत्र) के खसरा नंवर 171/4 फौतेदगी नामान्तरण से प्रभुदास के विधिक वारिसाान का जमावंदी में अंकन सही हुआ है। लिहाजा प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) के खसरा संख्या 385 रकवा 0.9200 हैक्टर के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/2 व 4 के विरूद्ध ता फैसला मूल वाद के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.) सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	